HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16832/2026
CNR: RJHC021026962026 | URN: CRLMB / 31064U / 2026

Harikishan S/o Shri Ramkishor, Aged About 50 Years, R/o Akoda Meena, Police Station Raini, District Alwar, Rajasthan. (At Present Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manish Kumar Meena
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Pradeep Kumar Sharma

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना रैणी, जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 185/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 3(5), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आहत जयकिशन के सिर पर चोट मारने का आक्षेप सहअभियुक्त महेन्द्र पर है, न कि प्रार्थी पर। उनका तर्क है कि प्रार्थी पर आहत आचुकी के साथ मारपीट करने का आक्षेप है, जिसे साधारण प्रकृति की चोटें कारित हुई हैं तथा दो चोटें में से एक दर्द की शिकायत होने की बताई गई है और दूसरी पैरों पर सूजननुमा चोट होना बताया गया है। उनका तर्क है कि आहत आचुकी के किसी भी मार्मिक भाग पर कोई चोट आना अंकित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से भी घटना के संबंध में क्रोस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और प्रार्थी के भी सिर में आंतरिक

चोट 5CM X 2CM कारित हुई हैं। उनका तर्क है कि पक्षकर सगे भाई हैं और उनके बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद उनके मध्य जमीन के विवाद को लेकर यह घटना कारित हुई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व के जो दो आपराधिक प्रकरण बताए गए हैं, वे वर्ष 2017 और 2020 अंतर्गत धारा 323, 341 व 354 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित हैं। उनका तर्क है कि आहत जयकिशन के संबंध में जो चिकित्सकीय संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं, उनमें उसके परिवारजन ने आहत का उपचार कराने से इनकार किया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 20.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत परिवादी के विद्वान अधिवक्ता व योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना कारित करने वाले व्यक्तियों में अंकित है तथा इसी घटना में आहत जयकिशन को सिर में प्राणघातक चोट कारित हुई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी पर भी अन्य व्यक्तियों/आहतगण के साथ मारपीट करने का भी आक्षेप है। उनका तर्क है कि आहत आचुकी के जो चोटें कारित हुई हैं, उनके संबंध में चिकित्सकीय राय अभी नहीं आई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व के मारपीट से संबंधित दो आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। उनका तर्क है कि प्रकरण में संलिप्त अन्य सहअभियुक्त सुभाष का जमानत प्रार्थना–पत्र इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त पर घटना में आहत हुए जयकिशन, जिसके सिर में प्राणघातक चोट आई है, के साथ मारपीट करने का आक्षेप नहीं है। घटना में सहअभियुक्त सुभाष पर आहत जयकिशन को पकड़ने का तथा सहअभियुक्त महेन्द्र पर जयकिशन के सिर में चोट कारित करने का आक्षेप है। प्रार्थी–अभियुक्त पर केवल आहत आचुकी के साथ मारपीट करने के आक्षेप हैं, जिसे साधारण प्रकृति की चोट कारित होना बताया गया है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 20.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/S-A/87/NIMIT GOYAL